रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML-2004.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 30 जुलाई, 2004/8 श्रावण, 1926

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय उपायुक्त, कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

कारण बताओ नोटिस

कुल्लू, 19 जुलाई, 2004

सं0 पीसीएच(कु0)ग्रा0पं0कोट-2004-1311-15.—खण्ड विकास अधिकारी कुल्लू द्वारा उनके पत्र संख्या : 977 दिनांक 1-6-2004 के अन्तर्गत इस कार्यालय के ध्यान में लाया गया है कि श्री देवेन्द्र सिंह, प्रधान ग्राम पंचायत जलूग्रां के विरुद्ध स्थानीय जनता से प्राप्त शिकायत पत्र में उद्दृत आरोपों की जांच हेतु दिनांक 31-5-2004 को जांच अधिकारी (खण्ड विकास अधिकारी विकास खण्ड कुल्लू) अपने कार्यालय में कार्यरत कनिष्ट अभियन्ता, पंचायत निरीक्षक तथा सुपरवाईजर सहित पंचायत मुख्यालय जलूग्रां पहुंचे थे, पंचायत समिति सदस्य श्री सेना पाल शर्मा, जिनके पंचायत समिति वार्ड में ग्राम पंचायत जलूग्रां सम्मिलित है, जांच अधिकारी के अनुरोध पर जांच कार्य में सहयोग देने हेतु जांच अवसर पर उपस्थित थे । जैसे ही जांच अधिकारी ने जांच का कार्य आरम्भ किया प्रधान ग्राम पंचायत ने पंचायत समिति के सदस्य की जांच अवसर पर उपस्थिति पर एतराज जताते हुए उक्त पंचायत पदाधिकारी से दुर्व्यवहार किया तथा मार-पीट की । प्रधान ग्राम पंचायत के उक्त दुर्व्यवहार तथा हिंसक व्यवहार के कारण भय का वातावरण व्याप्त हो गया । इस तनावपूर्ण स्थिति के दृष्टिगत तथा इस सम्भावना को ध्यान में रखते हुए कि प्रधान ग्राम पंचायत अपने विरुद्ध जांच कार्य में अवरोध उत्पन्न करने की नीयत से किसी बड़ी हिंसक घटना को सरन्जाम दे सकता है, जांच अधिकारी को जांच का कार्य रोक देना पड़ा । इस घटना की पुष्टि

पंचायत समिति सदस्य, ग्राम वासियों तथा पंचायत सदस्यों से प्राप्त आवेदन से भी होती है। प्रधान ग्राम पंचायत जलूग्रां का उक्त व्यवहार जहां उनके पद की गरिमा के विपरीत है वहां उक्त पंचायत पदाधिकारी का आचरण हिमाचल प्रदेश, पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 146 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत दुराचरण का गम्भीर मामला है। प्रधान ग्राम पंचायत के उपरोक्त अनुसार अविवेक पूर्ण उदण्ड व्यवहार से जहां ग्राम सभा क्षेत्र के सौहार्द पूर्ण वातावरण पर दुष्प्रभाव पड़ा है वही विधिनुसार नियुक्त जांच अधिकारी के जांच कार्य में भी अवरोध उत्पन्न हुआ है। प्रधान ग्राम पंचायत के विरुद्ध आरोपों में साक्षी व्यक्तियों में भी भय तथा असुरक्षा की भावना व्याप्त हुई है।

अत: मैं, आर0 डी0 नजीम, उपायुक्त कुल्लू, जिला कुल्लू एतद्द्वारा प्रधान ग्राम पंचायत जलूग्रां को नोटिस देता हूं कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण इस कारण बताओ नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में लिखित रूप में प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि में स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में यह माना जाएगा कि उन्हें अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है। इस स्थिति में उनके विरुद्ध हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम व उसके अन्तर्गत नियमों में वर्णित प्रावधान के अधीन कार्यवाही आरम्भ कर दी जायेगी।

कार्यालय आदेश

कुल्लू, 19 जुलाई, 2004

संख्या: पी0 सी0 एच0 (कु0) ग्रा0 पं0 कोट0 2004-1316-23.—खण्ड विकास अधिकारी कुल्लू, द्वारा उनके पत्र संख्या: 977 दिनांक 1-6-2004 के अन्तर्गत इस कार्यालय के ध्यान में लाया गया है कि श्री देवेन्द्र सिंह प्रधान ग्राम पंचायत जलूग्रा के विरुद्ध स्थानीय जनता से प्राप्त शिकायत पत्र में उद्धृत आरोपों की जांच हेतु दिनांक 31-5-2004 को जांच अधिकारी (खण्ड विकास अधिकारी विकास खण्ड कुल्लू) अपने कार्यालय में कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ता, पंचायत निरीक्षक तथा सुपरवाईजर सहित पंचायत मुख्यालय जलूग्रां पहुंचे थे, पंचायत समिति सदस्य श्री सेनापाल शर्मा जिनके पंचायत समिति वार्ड में ग्राम पंचायत जलूग्रां सम्मिलित है, जांच अधिकारी के अनुरोध पर जांच कार्य में सहयोग देने हेतु जांच अवसर पर उपस्थित थे। जैसे ही जांच अधिकारी ने जांच कार्य आरम्भ किया प्रधान ग्राम पंचायत ने पंचायत समिति के सदस्य की जांच अवसर पर उपस्थिति पर एतराज जताते हुए उक्त पंचायत पदाधिकारी से दुर्व्यवहार किया तथा मार-पीट की। प्रधान ग्राम पंचायत के उक्त दुर्व्यवहार तथा हिंसक व्यवहार के कारण भय का वातावरण व्याप्त हो गया। इस तनावपूर्ण स्थिति के दृष्टिगत तथा इस सम्भावना को ध्यान में रखते हुए कि प्रधान ग्राम पंचायत अपने विरुद्ध जांच कार्य में अवरोध उत्पन्न करने की नीयत से किसी बड़ी हिंसक घटना को सरन्जाम दे सकता है, जांच अधिकारी को जांच का कार्य रोक देना पड़ा। इस घटना की पुष्टि पंचायत समिति सदस्य, ग्राम वासियों तथा पंचायत सदस्यों से प्राप्त आवेदन से भी होती है। प्रधान ग्राम पंचायत जलूग्रां का उक्त व्यवहार जहां उनके पद की गरिमा के विपरीत है वहां उक्त पंचायत पदाधिकारी का आचरण हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत दुराचरण का गम्भीर मामला है। प्रधान ग्राम पंचायत के उपरोक्त अनुसार अविवेक पूर्ण उदण्ड व्यवहार से जहां ग्राम सभा क्षेत्र के सौहार्द पूर्ण वातावरण पर दुष्प्रभाव पड़ा है वही विधिनुसार नियुक्त जांच अधिकारी के जांच कार्य में भी अवरोध उत्पन्न हुआ है। प्रधान ग्राम पंचायत के विरुद्ध आरोपों में साक्षी व्यक्तियों में भी भय तथा असुरक्षा की भावना व्याप्त हुई है।

अत: हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 ए0 (5) 72/2003,-21257-283, दिनांक 29-10-2003 के अन्तर्गत महामहिम राज्यपाल हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 146(1) की अनुपालना में मैं, श्री देवेन्द्र सिंह प्रधान ग्राम पंचायत जलूग्रां, विकास खण्ड कुल्लू के विरुद्ध उपरोक्त वर्णित आरोप की नियमित जांच हेतु श्री बी0 सी0 भण्डारी, परियोजना अधिकारी, ग्रामीण विकास अधिकरण कुल्लू को जांच

अधिकारी तथा श्री प्रेम सिंह जिला अकेंक्षण अधिकारी कुल्लू को अभिलेख प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त करता हूं। जांच अधिकारी को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि वह इस प्रकरण के सम्बन्ध में अपनी जांच पर आधारित जांच रिपोर्ट इस आदेश की प्राप्ति के एक मास के भीतर-भीतर अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करेंगे। अभिलेख प्रस्तुतकर्ता अधिकारी अभिलेख प्रस्तुत करने के साथ-साथ सरकार का पक्ष भी प्रस्तुत करेंगे। श्री देवेन्द्र सिंह प्रधान, ग्राम पंचायत जलूग्रां, विकास खण्ड कुल्लू को भी निर्देश दिये जाते है कि उपरोक्त आरोप के सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु जांच अधिकारी द्वारा सूचित करने पर जांच अवसर पर व्यक्तिगत रूप में उपस्थित रहें।

आर0 डी0 नजीम,
उपायुक्त,
कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

कार्यालय उपायुक्त शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

शिमला-1, 21 जुलाई, 2004

संख्या पी0सी0 एच0-एस0 एम0 एल0 (4) 105/78-6187-93.—यह कि वन मण्डल अधिकारी, ठियोग वन मण्डल ठियोग से प्राप्त सूचना अनुसार तहसीलदार कोटखाई के माध्यम से करवाई गई प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट से पाया गया कि श्री यशपाल, सदस्य पंचायत समिति जुब्बल कोटखाई ने अराजी खसरा नं0 27, 28 रकबा तादादी 0-66-08 हैक्टेयर व अराजी 6 वर्ष पूर्व खसरा नं0 45/1 रकबा 0-01-96 हैक्टेयर किस्म चरागाह द्रखतान में कब्जा नाजायज कर रखा है। भूमि पर किये गये नाजायज कब्जे को नियमित करने हेतु 13-8-2002 को तहसील दार कोटखाई के कार्यालय में आवेदन पत्र दायर किया है। दायर आवेदन पत्र अनुसार उसने अराजी खसरा नं0 27, 28 व 24/1 रकबा तादादी 0-68-4 हैक्टेयर व अराजी 15 वर्ष पूर्व कब्जा नाजायज होना स्वीकारा है। इस लिये श्री यशपाल, सदस्य पंचायत समिति जुब्बल कोटखाई ने हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) (ग) की उल्लंघना की है इस सम्बन्ध में उसे इस कार्यालय के पत्र संख्या : पी0 सी0 एच0- एस0 एम0 एल0 (4) 105/78-3658-61 दिनांक 22-5-2004 के अन्तर्गत जारी नोटिस अनुसार अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया था।

यह कि उक्त श्री यशपाल, सदस्य, पंचायत समिति, जुब्बल कोटखाई से इस कार्यालय द्वारा जारी उक्त नोटिस का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है जबकि विहित अवधि भी समाप्त हो चुकी है। इससे स्पष्ट है कि उन्हें अपने पक्ष में कुछ नही कहना है।

यह कि वन मण्डल अधिकारी, वन मण्डल ठियोग से प्राप्त सूचना अनुसार तथा तहसीलदार कोटखाई से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार स्पष्ट है कि श्री यशपाल, सदस्य पंचायत समिति जुब्बल कोटखाई ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है। जिस कारण उसने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) (ग) की उल्लंघना की है तथा वह उक्त पंचायत समिति सदस्य पद पर बने रहने के लिये निर्राहित हो गया है।

अत: मैं, एस0 के0 बी0 एस0 नेगी, उपायुक्त शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(2) के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की संशोधित धारा 122 (1) (ग) की उलंघना करने पर श्री यशपाल, सदस्य पंचायत समिति, जुब्बल कोटखाई के सदस्य पद पर बने रहने के लिये अयोग्य घोषित करता हूं तथा उक्त अधिनियम की धारा 131 (2) के अन्तर्गत पंचायत समिति जुब्बल कोटखाई के रत्नाड़ी वार्ड के सदस्य पद को रिक्त घोषित कर यह आदेश देता हूं कि उसके पास पंचायत समिति की किसी भी प्रकार की कोई देनदारी हो तो उसे तुरन्त सचिव पंचायत समिति जुब्बल कोटखाई को सौंप दे।

शिमला-171001, 21 जुलाई, 2004

संख्या पी0 सी0 एच0-एसएमएल (4) 3/78-6194-6200.—यह कि श्री मस्त राम गांव धरयाणा डाकखाना व तहसील सुन्नी, जिला शिमला में प्राप्त शिकायत पत्र पर तहसीलदार सुन्नी के माध्यम से करवाई गई प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट से पाया गया कि श्री भोम प्रकाश उप-प्रधान ग्राम पंचायत धरयाणा ने सरकारी भूमि खसरा नं0 35 में स्थित 0-04-79 हैक्टेयर बाका मौजा शिल में नाजायज कब्जा कर रखा है। भूमि पर किया गया नाजायज कब्जे को नियमित करने हेतु दिनांक 26-7-2002 को तहसीलदार सुन्नी को कुल रकबा 0-11-13 हैक्टेयर भूमि पर वर्ष 1997 से कब्जा होना स्वीकार किया है । इसलिए श्री भोम प्रकाश उप-प्रधान ग्राम पंचायत धरयाणा ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 122 (1) (ग) की उल्लंघना की है । इस सम्बन्ध में उसे इस कार्यालय के पत्र संख्या पीसीएच-एसएमएल (4) 3/78-2295-99 दिनांक 2-4-2004 के अन्तर्गत जारी नोटिस अनुसार अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया था।

यह कि उक्त श्री भोम प्रकाश, उप-प्रधान ग्राम पंचायत धरयाणा तहसील सुन्नी से उक्त कारण बताओ नोटिस का जो उत्तर प्राप्त हुआ है यह सन्तोषजनक नहीं है क्योंकि उन्होंने स्वयं 26-7-2002 को तहसीलदार सुन्नी को कुल रकबा 0-11-13 हैक्टयर भूमि पर वर्ष 1977 से कब्जा होना स्वीकर किया।

यह कि तहसीलदार सुन्नी की रिपोर्ट अनुसार स्पष्ट है कि श्री भोम प्रकाश उप-प्रधान ग्राम पंचायत धरयाणा ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है जिस कारण उसने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 122(1) (ग) की उल्लंघना की है तथा वह उक्त उप-प्रधान पद पर बने रहने के लिए निर्रहित हो गया है ।

अतः मैं, एस0 के0 बी0 एस0 नेगी, उपायुक्त, शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (2) के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की संशोधित धारा 122(1) (ग) की उल्लंघना करने पर श्री भोम प्रकाश उप-प्रधान ग्राम पंचायत धरयाणा को उप-प्रधान पद पर बने रहने के लिए अयोग्य घोषित करता हूं तथा उक्त अधिनियम की धारा 131(2) के अन्तर्गत उप प्रधान, ग्राम पंचायत धरयाणा तहसील सुन्नी के पद को रिक्त घोषित कर यह आदेश देता हूं कि उसके पास ग्राम पंचायत की किसी भी प्रकार की कोई देनदारी हो तो उसे तुरन्त सचिव/पंचायत सहायक ग्राम पंचायत धरयाणा को सौंप दें ।

शिमला, 21 जुलाई, 2004

संख्या पी0 सी0 एच0-एसएमएल (दो बच्चे)/2002-6203-10.—यह कि खण्ड विकास छौहारा तथा पंचायत सचिव ग्राम पंचायत खरशाली, तहसील चिडगांव जिला शिमला से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार श्री केशव राम सदस्य वार्ड नं0 3 ग्राम पंचायत खरशाली ने अपनी दूसरी जीवित सन्तान के होते हुए दिनांक 5-2-2004 को तीसरी सन्तान पैदा करके हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 122(1) (ण) की उल्लंघना की है। इस सम्बन्ध में उसे इस कार्यालय के पत्र संख्या पीसीएच-एसएमएल (दो बच्चे)/2002-4864-69 दिनांक 14-6-2004 के अन्तर्गत जारी नोटिस अनुसार अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया था ।

यह कि उक्त श्री केशव राम सदस्य वार्ड नं0 3 ग्राम पंचायत खरशाली से इस कार्यालय द्वारा जारी उक्त नोटिस का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है जबकि विहित अवधि भी समाप्त हो चुकी है। इससे स्पष्ट है कि उन्हें अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है ।

यह कि खण्ड विकास अधिकारी, छौहारा तथा पंचायत सचिव ग्राम पंचायत खरशाली की रिपोर्ट अनुसार उक्त श्री केशव राम, सदस्य ग्राम पंचायत खरशाली की तीसरी सन्तान उत्पन्न हुई है । जिससे स्पष्ट होता है कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 122(1) तथा हि0 प्र0 पंचायती राज (संशोधन)

अधिनियम, 2000 की धारा 19 द्वारा अन्तःस्थापित खण्ड (ण) की उल्लंघना करते हुए 8-6-2001 के पश्चात अर्थात 5-2-2004 को तीसरी सन्तान पैदा करके वह उक्त ग्राम पंचायत के सदस्य पद पर बने रहने के लिए निर्हित हो गया है।

अतः मैं, एस0 के0 बी0 एस0 नेगी, उपायुक्त, शिमला, जिला शिमला हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 122(2) के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की संशोधित धारा 122(1) (ण) की उल्लंघना करने पर श्री केशव राम सदस्य, ग्राम पंचायत खरशाली को ग्राम पंचायत के सदस्य पद पर बने रहने के लिए अयोग्य घोषित करता हूं तथा उक्त अधिनियम की धारा 131 (2) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत खरशाली के वार्ड संख्या 3 के सदस्य पद को रिक्त घोषित कर यह आदेश देता हूं कि उसके पास ग्राम पंचायत की किसी भी प्रकार की कोई देनदारी हो तो उसे तुरन्त सम्बन्धित पंचायत सचिव अथवा पंचायत सहायक ग्राम पंचायत खरशाली को सौंप दें।

एस0 के0 बी0 एस0 नेगी,
उपायुक्त,
शिमला, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

कार्यालय उपायुक्त सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

सोलन, 21 जुलाई, 2004

संख्या सोलन-3-76(पंच)/2002-5017-23.—यह कि श्रीमती निर्मला देवी, सदस्या, ग्राम पंचायत सौर, वार्ड नं0 5, विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन (हि0 प्र0) के 8 जून, 2001 के पश्चात् दिनांक 26-12-2003 को एक अतिरिक्त तीसरी सन्तान पैदा होने के फलस्वरूप उन्हें इस कार्यालय द्वारा कारण बताओ नोटिस पंजीकृत संख्या सोलन-3-76 (पंच)/2002-4348-53, दिनांक 18-6-2004 द्वारा 15 दिनों के भीतर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिये गए थे कि क्यों न उन्हें पंचायती राज अधिनियम की संशोधित धारा 122 (1) के खण्ड (ण) के अन्तर्गत सदस्या पद पर पदासीन रहने के अयोग्य मानते हुए पद को रिक्त घोषित किया जाए।

क्योंकि श्रीमती निर्मला देवी, सदस्या, ग्राम पंचायत सौर, वार्ड नं0 5, विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन (हि0 प्र0) के कारण बताओ नोटिस पर निर्धारित अवधि में कोई स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि कारण बताओ नोटिस के बारे में उन्हें अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है और उसमें लगाए गए आरोप सही हैं। पंचायत पदाधिकारियों को दो से अधिक सन्तानें होने पर अयोग्यता का प्रावधान 8 जून, 2000 को पंचायती राज अधिनियम में लाया गया था परन्तु इस प्रावधान पर अमल की छूट 8 जून, 2001 तक की दी गई थी। इस प्रकार वर्णित प्रावधान में प्रत्येक पंचायती राज पदाधिकारी, जिसके 8 जून, 2001 के पश्चात् दो से अधिक सन्तान उत्पन्न होती है, वह अपने पद पर रहने के अयोग्य है। ऊपर वर्णित तथ्यों के प्रकाश में श्रीमती निर्मला देवी, सदस्या, ग्राम पंचायत सौर, वार्ड नं0 5, विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन (हि0 प्र0) का सदस्य पद पर आसीन रहना हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1994 व सम्बन्धित नियमों में प्रदत्त प्रावधान के प्रतिकूल होगा।

अतः मैं, राजेश कुमार (भा0 प्र0 से0), उपायुक्त, सोलन, जिला सोलन (हि0 प्र0) उन शक्तियों के अन्तर्गत जो मुझे हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 122 (1) के खण्ड (ण) व 122 (2) के अधीन प्राप्त हैं, श्रीमती निर्मला देवी, सदस्या, वार्ड नं0 5, ग्राम पंचायत सौर, विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन (हि0 प्र0) को तत्काल सदस्य पद पर आसीन रहने के अयोग्य घोषित करता हूँ

तथा हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम की धारा 131-(2) के प्रावधान की अनुपालना में ग्राम पंचायत सौर, विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन के वार्ड नं0 5 के सदस्य पद को रिक्त घोषित करता हूं।

सोलन, 21, जुलाई, 2004

संख्या : सोलन-3-76 (पंच)/2002-8010-16.—यह कि श्री जागीर सिंह उप-प्रधान, ग्राम पंचायत माजरा, विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन (हि0 प्र0) के 8 जून 2001 के उपरान्त दिनांक 13-3-2004 को एक अतिरिक्त सन्तान पैदा होने के फलस्वरूप उन्हें इस कार्यालय द्वारा कारण बताओ नोटिस पंजीकृत संख्या सोलन-3-76(पंच)/2002-4342-47, दिनांक 18-6-2004 द्वारा 15 दिनों के भीतर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिये गये थे कि क्यों न उन्हें पंचायती अधिनियम की संशोधित धारा 122 (1) के खण्ड (ण) के अन्तर्गत सदस्य पद पर पदासीन रहने के अयोग्य मानते हुए पद को रिक्त घोषित किया जाए।

क्योंकि श्री जागीर सिंह, उप-प्रधान, ग्राम पंचामत माजरा, विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन (हि0 प्र0) के कारण बताओ नोटिस पर निर्धारित अवधि में कोई स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि कारण बताओ नोटिस के बारे में उन्हें अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है। और उस में लगाए गए आरोप सही हैं। पंचायत पदाधिकारियों को दो से अधिक सन्तानें होने पर अयोग्यता का प्रावधान 8 जून, 2000 को पंचायती राज अधिनियम में लाया गया था परन्तु इस प्रावधान पर अमल की छूट 8 जून 2001 तक की दी गई थी। इस प्रकार वर्णित प्रावधान में प्रत्येक पंचायती राज पदाधिकारी, जिसके 8 जून 2001 के पश्चात दो से अधिक सन्तान उत्पन्न होती है, वह अपने पद पर रहने के अयोग्य है। उपरवर्णित तथ्यों के प्रकाश में श्री जागीर सिंह, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत माजरा, विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन (हि0 प्र0) का उप-प्रधान, पद पर आसीन रहना हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1994 व सम्बन्धित नियमों के प्रदत्त प्रावधान के प्रतिकूल होगा।

अतः मैं राजेश कुमार (भा0 प्र0 से0) उपायुक्त सोलन, जिला सोलन, हि0 प्र0 उन शक्तियों के अन्तर्गत जो मुझे हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1) के खण्ड (ण) व 122 (2) के अधीन प्राप्त हैं, श्री जागीर सिंह, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत माजरा, विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन (हि0 प्र0) को तत्काल सदस्य पद पर आसीन रहने के अयोग्य घोषित करता हूं तथा हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम की धारा 131(2) के प्रावधान की अनुपालना में ग्राम पंचायत माजरा, विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन के उप-प्रधान पद को रिक्त घोषित करता हूं।

राजेश कुमार,
उपायुक्त
सोलन, जिला सोलन (हि0 प्र0)।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित